कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

/निविदा आमंत्रण सूचना/

भवन के छत/भूमि पर लगाये जाने वाले एल.ई.डी.बोर्ड

क्रमांक –**1273** /भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2012 रायपुर दिनांक – 16/01/12

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्रान्तर्गत तीन स्थानों पर भवन के छत/भूमि पर समय एवं तापमान दर्शाते हुए एल.ई.डी. बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी जो नगरीय निकाय में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने, दो लिफाफा पद्धति से सील बंद निविदाएं पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से **दिनांक 06.02.2012** को अपरान्ह **4:00 बजे** तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा उसी दिनांक को उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष **5:00 बजे** शाम को खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	1000/–वापसी योग्य नहीं
ठेका अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 06.02.2012 दोपहर 4:00 बजे तक

क.	**स्थान का नाम**	**एल.ई.डी. बोर्ड की साईज**	**न्यूनतम आफसेट दर**	**अमानति राशि (रू. लाख में)**
1	तेलीबांधा तालाब के किनारें	200 वर्गफीट	2.00 लाख	0.50
2	फाफाडीह चौक के पास पेट्रोल पंप से लगकर	200 वर्गफीट	2.00 लाख	0.50
3	नगर निगम मुख्यालय भवन परिसर के पास	200 वर्गफीट	2.00 लाख	0.50

टीपः– नियम, शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.com से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। निविदाकार नगर निगम में e-tendering प्रणाली के तहत www.cgprocurement.com पर जाकर online निविदा भी कर सकते है। online निविदा करने पर अमानत राशि का FDR निगम कार्यालय में अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर

पृ. क्र **1274**/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2012 रायपुर दिनांक – 16/01/12

प्रतिलिपिः–

1. माननीय महौपार/सभापति, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. भार साधक सदस्य, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. उपायुक्त योजना, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
6. जनसंपर्क अधिकारी, नंगर पालिक निगम, रायपुर की ओर 2 दैनिक समाचार पत्र में प्रसारित करवानें बाबत्।
7. आई.टी. ऑफिसर, नगर पालिक निगम, रायपुर अपलोड करवाने बाबत् सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर

चौक चौराहें / सड़क किनारें पर एल.ई.डी. बोर्ड लगाने एवं विज्ञापन प्रदर्शित करनें संबंधी निविदा की □र्ते :–

1. लगाये जाने वाले एल.ई.डी. बोर्ड हेतु अमानत राशि आयुक्त, नगर निगम रायपुर के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना होगा।

2. एल.ई.डी. बोर्ड लगाये जाने हेतु तीन स्थलों क्रमशः (1) तेलीबांधा तालाब के किनारें (2) फाफाडीह चौक के पास पेट्रोल पंप से लगकर (3) नगर निगम नवीन मुख्यालय भवन परिसर के पास का चयन किया गया है।

3. एल.ई.डी. बोर्ड पर समय एवं तापमान को दर्शाना आवश्यक होगा, बोर्ड की साईज 20'X10' रखा गया है। बोर्ड की साईज कम/ज्यादा किया जा सकेगा तथा एल.ई.डी. बोर्ड की साईज अनुसार दी गई निविदादर के आनुपातिक दर अनुसार राशि जमा किया जा सकेगा।

4. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु न्यूनतम आफसेट दर 1000 रू. प्रति वर्गफीट रखी गई है। जिसमें प्रदर्शन शुल्क व किराया दोनो शामिल है।

5. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने के पूर्व भवन एवं पोल का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नगर निगम में पंजीकृत संरचना इंजीनियर से प्राप्त कर जमा करना होगा तथा यातायात विभाग से स्थल चयन के संबंध में अनापत्ति प्राप्त कर जमा करना होगा।

6. निविदाकार को लगाए जाने वाले एल.ई.डी. बोर्ड हेतु एक मुश्त दर निविदा में भरना होगा।

7. सीलबंद निविदाए 02 लिफाफा पद्धति से देना होगा। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– का डी.डी एवं लिफाफा 'ब' में निविदा दर देना होगा। दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बंद होगा।

8. दर स्वीकृत होने के सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने करने की कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा अनुबंध करा लेने के बाद ही विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा एवं निविदा स्वीकृति की सूचना दिनांक से 2 माह की अवधि एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु दिया जावेगा। दो माह पश्चात एल.ई.डी. बोर्ड लगा लेने अथवा नहीं लगानें, दोनों ही स्थिति में किराया प्रारम्भ माना जावेगा।

9. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।

10. सभी निविदा में दर 3 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क, अनुबंध के पूर्व नगर निगम में जमा करना होगा जिसमें दर स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, शेष राशि 2 माह के भीतर जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व की गई वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।

11. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध 3 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर वृद्धि सहित कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।

13. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लघंन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

14. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी आयुक्त नगर निगम रायपुर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के अधीन होगा।

15. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 3 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर एल.ई.डी. बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।

16. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये एल.ई.डी. बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुघर्टनाओ हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन–धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ–पत्र नगर निगम में निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।

17. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी एल.ई.डी. बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले एल.ई.डी. बोर्ड का आनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।

18. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

19. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्तिजनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, एल.ई.डी. बोर्ड पर प्रदर्शित नही किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

20. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।

21. यह कि अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दिया जायेगा एवं जिस एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेंगी।

22. एल.ई.डी. बोर्ड व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नही होना चाहिए। एल.ई.डी. बोर्ड से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिको को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नही होनी चाहिए। एल.ई.डी. बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

23. एल.ई.डी. बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।

24. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नही हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नही होगा।

25. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेन्सी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

26. एल.ई.डी. बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।

27. एल.ई.डी. बोर्ड पर आवश्यकता अनुसार विद्युतिकरण करने की स्थिति में पूर्णतः सुरक्षित ढ़ंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा विद्युतिकरण किया जावेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघर्टना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।

28. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल कर सकेंगे।

29. एल.ई.डी. बोर्ड में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नही किया जाएगा।

30. फर्म द्वारा एल.ई.डी. बोर्ड में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार–प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के आयोजन–प्रयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

31. नगर पालिक निगम, रायपुर किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, रायपुर के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।

32. एल.ई.डी. बोर्ड में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम रायपुर द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा, होर्डिग्स हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।

33. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया एल.ई.डी. बोर्ड पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम रायपुर द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

34. एजेन्सी को एल.ई.डी. बोर्ड के स्थल आबंटन की अनुमति एवं वैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा तथा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

35. नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में उचित कारण बताना होगा, कारण उचित नहीं होने पर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

(अ) पहली बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(ब) दूसरी बार नियम उल्लघन पर रू. 20,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।

(स) तीसरी बार नियम उल्लघन पर रू. 30,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

36. चौथी बार नियम का उल्लघन किए जाने पर संबंधित एजेंसी को दी गई अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेंसी को 10 दिनों के अन्दर एल.ई.डी. बोर्ड की संपूर्ण संरचना को स्थल से हटाना होगा ।

37. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एल.ई.डी. बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू–राजस्व की तरह वसूल की जायेगी ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर

निविदा -प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विशय :– विज्ञापन कार्य के लिए चौक चौराहें/सड़क किनारें पर लगाये जाने वाले एल.ई.डी. बोर्ड हेतु निविदा दर देने के संबंध में।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन कार्य हेतु निविदा क्रमांक...............जारी दिनांक .... ।

––– 000 –––

संदर्भित निविदा अंतर्गत विज्ञापन कार्य के लिए चौक चौराहें/सड़क किनारें पर लगाये जाने वाले एल.ई.डी. बोर्ड हेतु (Lumpsump) .... रूपये वार्षिक (शब्दो में ....) वार्षिक निविदा दर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। मैं यह घोषणा करता हूॅ, कि मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नामः–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाश क. एवं मोबाइल क. :–